

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी (म.प्र.)

// ज्ञापन //

क्रमांक **1752** / दो-5-1 / 07

कटनी, दिनांक **10** / 07 / 2025

प्रति,

समस्त सहायक ग्रेड-2 / सहायक ग्रेड-3
तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण
कटनी / बरही / विजयराघवगढ / ढीमरखेडा

विषय :- लेखा प्रशिक्षण हेतु सहमति / असहमति प्रेषित करने बाबत।
संदर्भ :- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक सी / 1102 /
दो-14-67 / 59 जबलपुर दिनांक 25.03.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि इस स्थापना पर पदस्थ ऐसे सहायक ग्रेड-2 / सहायक ग्रेड-3 के तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो लेखा कार्य करने में रुचि रखते हैं और वे लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो निम्न अर्हता अनुसार लेखा प्रशिक्षण हेतु अपनी सहमति / असहमति दिनांक 12.07.2025 तक इस कार्यालय में प्रेषित करें—

01. कक्षा बारहवी उत्तीर्ण हो।
02. टायपिंग / सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो।
03. पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण हो गयी हो।
04. किसी भी प्रकार की कोई जांच / दण्डावधि लंबित न हो।

समय-सीमा पश्चात् प्राप्त सहमति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।

कृते- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)

पृ.क्र. **1753** / दो-5-1 / 07

कटनी, दिनांक **10** / 07 / 2025

प्रतिलिपि:- 01. जिला नाजिर / नायब नाजिर कटनी / बाहय न्यायालय बरही / ढीमरखेडा /
विजयराघवगढ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में समस्त सहायक ग्रेड-2 / सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को संसूचित कराया जाना सुनिश्चित करे।
02. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी को सहायक ग्रेड-2 / सहायक ग्रेड-3 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को सूचित करना सुनिश्चित करे।

कृते- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी (म.प्र.)